दीनदयाल उपाध्याय .गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

पत्रांकः– 345 / स०का० / 2021 दिनांक– 16 / 09 / 2021

सेवा में,

सम्पादक,

1. दैनिक जागरण, गोरखपुर।
2. अमर उजाला, गोरखपुर।

विषयः– नीलामी सूचना विज्ञापित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित नीलामी सूचना को दिये गये प्रारूप एवं साइज (6X4CM) में अपने सम्मानित पत्र के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर संस्करण में विज्ञापित करने तथा विज्ञापित होने के पश्चात् भुगतान हेतु देयक दो प्रतियों में 30 प्रतिशत कटौती के साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर

अल्प कालीन नीलामी

पत्रांकः 345 / स०का० / 2021 दिनांक– 16.09.2021

विश्वविद्यालय परिसर के कुछ वृक्षों की नीलामी दिनांक 24.09.2021 को सायं 03.00 बजे कमेटी कक्ष में होनी है। विस्तृत नियम एवं शर्ते आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

वृक्ष नीलामी की नियम एवं शर्ते

1. वृक्ष की नीलामी लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 24.09.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी कक्ष में समिति के समक्ष उपस्थित होगें।
2. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को लेखा विभाग से रू० 2,400/- (दो हजार चार सौ रूपये मात्र)(2,000+400) की रसीद कटवानी अनिवार्य होगी अथवा विश्वविद्यालय की वेवसाइट से नियम एवं शर्ते डाउन लोड करने की दशा में रू० 2,400/- (दो हजार चार सौ रूपये मात्र) का बैक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा, जो कमेटी कक्ष में दिनांक 24.09.2021 को 3.00 बजे जमा करना होगा।
3. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को रू० 50,000/- (रू० पचास हजार) नगद कमेटी कक्ष में 03.00 बजे जमा करना होगा।
4. क्रम संख्या 2 एवं 3 में वर्णित शर्ते पूरा करने वाले व्यक्ति ही नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकेगें।
5. नीलामी के उपरान्त नीलामी में आये उच्चतम बोली के व्यक्ति को छोड़कर शेष व्यक्तियों का रू० 50,000/- (रू० पचास हजार) कमेटी कक्ष में ही वापस कर दिया जायेगा।
6. नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को उच्चतम बोली का 25% तत्काल जमा करना होगा।
7. उच्च बोली वाले व्यक्ति को 07 दिन के अन्दर नीलामी का पूरा पैसा विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा करके एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर से वृक्षों की कटान परमिट अधिवहन पास लेकर वृक्षों को हटवाना अनिवार्य होगा।
8. वृक्षों को जड़ से निकाल कर केता को ले जाना पडेगा। वृक्षों के ले जाने में यदि कोई विश्वविद्यालय की क्षति होती है तो क्रेता को उसकी भरपाई करनी होगी।
9. नीलामी में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति जी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय मान्य होगा।
10. प्रार्थी को उपर्युक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 9 तक की सभी शर्ते मान्य हैं।

प्रार्थी

नाम..

पता..

....